

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी-88 (पार्ट-1)/2022/

दिनांक :

निदेशक,

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
सचिवालय, जयपुर (राज0)

विषय : जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति के प्रकाशन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस निदेशालय की विज्ञप्ति क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी-88 (पार्ट-1)/2022/548-45 दिनांक : 14/10/22 की हार्ड कॉपी दस प्रतियां मय सॉफ्ट कॉपी के साथ संलग्न कर अनुरोध है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य के प्रमुख दो समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर) के सभी संस्करणों में अतिशिघ्र प्रकाशित करवाने का श्रम करे।
संलग्न - हार्ड कॉपी मय सॉफ्ट कॉपी।

SD
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक : 14/10/22

क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी-88 (पार्ट-1)/2022/ 550

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के संबंध में एक प्रेस नोट निदेशक (अराजपत्रित) की ओर से जारी कराने की व्यवस्था करावें।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौसिल, बी-39 सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
6. प्रभारी, समस्त राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र को संक्षिप्त एवं विस्तृत प्रवेश विज्ञप्ति की प्रति संलग्न कर लेख है कि इनको आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगवाने का श्रम करावें।
7. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि प्रवेश हेतु प्रकाशित की जाने वाली संक्षिप्त एवं विस्तृत विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2022-23 में तुरन्त अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
8. सचिव/समन्वयक, राजस्थान प्राईवेट नर्सिंग स्कूल फैडरेशन, ई-277 लालकोठी योजना, जयपुर।
9. सचिव/समन्वयक, प्राईवेट फिजियोथेरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस सोसायटी ऑफ जयपुर, 17 संगम होटल, मोतीलाल अटल रोड, पोलोविकटी सिनेमा के पास, जयपुर।
10. प्रबंध निदेशक, राज कोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, योजना भवन, जयपुर।
11. प्रबंध निदेशक, राज कोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, (ई-मित्र), योजना भवन, जयपुर।
12. प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा उद्योग भवन, सी-स्कीम, जयपुर।
13. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय।

SD
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी-८८ (पार्ट-१)/२०२२/५४८

दिनांक : १५/१२/२२

— संक्षिप्त विज्ञप्ति :-

(जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति)

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश के लिए दिनांक १७.१०.२०२२ (प्रातः १० बजे) से दिनांक १०.११.२०२२ (मध्यरात्रि) तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :-

१.	शैक्षणिक योग्यता	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से अथवा इसके द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार गान्धी वर्ग (फिजिक्स, कैमेस्ट्री व बॉयलोजी) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जीव विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमेस्ट्री व बॉयलोजी) विषय ग्रुप के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देय होगी, यदि उपरोक्त विज्ञान वर्ग के योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी वर्ग/श्रेणी में उपलब्ध नहीं होंगे, तो शेष रिक्त रही सीटों हेतु अन्य विषय वर्ग से उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थियों को समिलित कर मेरिट के आधार पर चयन किया जा सकेगा। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये ४० प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये ३५ प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है (अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रति, यदि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण हो, तो दोनों परीक्षाओं (मुख्य व पूरक) की, अंक तालिकाएँ ऑनलाइन आवेदन के साथ स्कैन कर अपलोड करें)।
२.	आयु (३१.१२.२०२२ को) एवं आरक्षण	दिनांक ३१.१२.२०२२ को न्यूनतम १७ वर्ष एवं अधिकतम २८ वर्ष (पुरुषों हेतु) तथा न्यूनतम १७ वर्ष एवं अधिकतम ३४ वर्ष (महिलाओं हेतु) होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार ५ वर्ष की छूट दी जावेगी। विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु स्थायी कार्मिक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु ३५ वर्ष होगी किन्तु स्थायी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) की अधिकतम आयु सीमा ४० वर्ष होगी। कार्मिक (क-२) विभाग के पत्र क्रमांक प ७(१) कार्मिक/क-२/२०१७ दिनांक २३.०६.२०१९ के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग को पांच प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को दस प्रतिशत आरक्षण विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार देय होगा (अधीनतम प्रग्राम पत्र संलग्न किया गया हो)। अनुसूचित खण्डों के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण देय होगा। प्रशिक्षण में आरक्षित वर्गों को राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
३.	सीटों की संख्या	कुल सीटों की संख्या/संस्थाओं की संख्या (परिवर्तनीय) है। राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व विभागीय वैबसाइट पर उपलब्ध करा दी जावेगी।
४.	महिला/पुरुष अभ्यर्थियों की सीटों की संख्या का अनुपात	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सभी राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूलों में महिला व पुरुष अभ्यर्थियों के प्रवेश/चयन का अनुपात ४०:२० होगा। किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से सीटें भरी जावेगी।
५.	पाठ्यक्रम की अवधि	३ वर्ष —जिसमें ६ माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है। जीएनएम प्रशिक्षण की अवधि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्थाई कार्मिकों के लिए भी तीन वर्ष निर्धारित है।
६.	फीस	राजकीय प्रशिक्षण फीस :— (वार्षिक) 10,000/- (Boys Gen OBC SC , Creamy layer candidates) 4,000/- (SC, ST, MBC, EWS , Non Creamy layer OBC and Female candidates) निजी प्रशिक्षण स्कूल 50,000/- रुपये। काउंसलिंग फीस 500/- रुपये (NON REFUNDABLE)
७	चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात योग्य पाये गये अभ्यर्थी को उनके विकल्पानुसार प्रशिक्षण केन्द्र में रिक्त सीटों पर वरीयतानुसार प्रशिक्षण केन्द्र का आवटन किया जावेगा।

8.	आवेदन शुल्क	सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी को 220/- रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी को 110/- रुपये की फीस ई-मित्र/सीएससी नेटवर्क से जमा कराना अनिवार्य है। उक्त शुल्क पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से भी जमा कराया जा सकता है।
9.	आवेदन पत्र	ऑनलाईन आवेदन पत्र ई-मित्र/सीएससी नेटवर्क पर एवं विभागीय वैबसाईट के माध्यम से भरे जा सकते हैं।
10.	विस्तृत विज्ञाप्ति तथा आवेदन प्रपत्र	विस्तृत विज्ञाप्ति तथा आवेदन प्रपत्र विभागीय वैबसाईट www.rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध है।


 (सुरेश नवल)
 निदेशक (अराजपत्रित)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
 राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: प्रशि./जीएनएम/जी-८८ (पार्ट-१)/२०२२/५४७

दिनांक: १४/१०/२२

—:: विस्तृत विज्ञप्ति ::—

(जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र २०२२-२३ में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति)

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के अधीन राजकीय तथा निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूलों में सत्र २०२२-२३ हेतु प्रारम्भ होने वाले जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी तीन वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (जिसमें छ: माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है) में प्रवेश हेतु योग्य महिला/पुरुष अभ्यर्थियों से ३०८ ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन करने की दिनांक १७.१०.२०२२ (प्रातः १०:०० बजे) से १०.११.२०२२ (मध्यरात्रि) तक निर्धारित हैं। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, (OBC) अति पिछड़ा वर्ग (MBC) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी को २२०/- रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को ११०/- रुपये की फीस ई-मित्र/सीएससी नेटवर्क से जमा कराना अनिवार्य है। पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से भी उक्त शुल्क जमा कराया जा सकता है। उक्त प्रशिक्षण कोर्स हेतु आवेदन एवं प्रवेश की शर्तों का विवरण निम्नानुसार है:-

(A.) शैक्षणिक योग्यता :-

- वर्तमान में आईएनसी/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता १० + २ होगी।
- जीव विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमेस्ट्री व बॉयलोजी विषयों से उत्तीर्ण) के अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता देय होगी।
- यदि जीव विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो अन्य विषय वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु उसी जाति वर्ग में विचार किया जायेगा।
- सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अति पिछड़ा वर्ग (MBC) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिये ४० प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये ३५ प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य हैं।

(B.) आयु (३१.१२.२०२२ को संदर्भ मानकर गणना की जावेगी) :-

- दिनांक ३१.१२.२०२२ को न्यूनतम १७ वर्ष एवं अधिकतम २८ वर्ष (पुरुषों हेतु) तथा न्यूनतम १७ वर्ष एवं अधिकतम ३४ वर्ष (महिलाओं हेतु) निर्धारित है।
- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार ५ वर्ष की छूट दी जावेगी।
- जन्म तिथि के प्रमाण हेतु सैकेण्डरी उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका/प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाईन आवेदन के साथ स्कैन कर अपलोड करनी होगी।
- विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु स्थायी कार्मिक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु ३५ वर्ष होगी तथा स्थायी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) की अधिकतम आयु सीमा ४० वर्ष होगी।

(C.) अन्य सामान्य जानकारी :-

- जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि एवं पाठ्यक्रम भारतीय नर्सिंग परिषद/राज्य सरकार के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप तीन वर्ष – जिसमें छ: माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है। जीएनएम प्रशिक्षण की अवधि में एएनएम को मिडवाईफरी प्रशिक्षण की छ: माह की छूट देय नहीं है।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के आदेश क्रमांक : मान्यता/ईक्यू/१०४५ दिनांक ०५.०७.२०११ एवं पत्रांक २०४२ दिनांक १७.११.२०११ के क्रम में राज्य सरकार की आई.डी. संख्या ५८६ दिनांक १८.०७.२०१४ के अनुमोदनानुसार जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड से सैकेण्डरी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस प्रशिक्षण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा।
- प्रशिक्षण हेतु महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों का चयन ८०:२० के अनुपात में होगा। किसी वर्ग/श्रेणी में महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी वर्ग/श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों को प्रवेश देय होगा।
- प्रशिक्षण में चयन हेतु नियमानुसार राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार की जावेगी। अतः राजकीय/निजी नर्सिंग संस्थानों हेतु एक ही ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना होगा। प्राप्त आवेदनों के आधार पर राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार की जाकर आरक्षण के वर्गवार राजकीय/निजी

संस्था में उपलब्ध रिक्त सीटों पर मेरिट के आधार पर आवंटन किया जावेगा। राजकीय नर्सिंग स्कूल एवं निजी क्षेत्र में संचालित निजी नर्सिंग स्कूल में प्रवेश के लिए होने वाली काउंसलिंग हेतु फीस पेटे 500/- रुपये (अक्षरे रुपये पॉच सौ मात्र) (NON REFUNDABLE) अग्रिम राशि बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा उद्योग भवन, जयपुर के खाता संख्या 14630100006718 में पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) के नाम से जमा कराना अनिवार्य है। जिसकी प्राप्ति रसीद अभ्यर्थी को ऑनलाइन काउंसलिंग के पूर्व विभागीय वैबसाईट पर दिये गये लिंक के माध्यम से स्केन कर विकल्प पत्र के साथ-साथ अपलोड करना अनिवार्य है। उसके पश्चात् ही अभ्यर्थी को ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रवेश देय होगा। इस राशि का समायोजन फीस की राशि में कर दिया जावेगा।

5. अभ्यर्थी को राजकीय काउंसलिंग से राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल आवंटन होने पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेगा/किसी कारणवश प्रशिक्षण केन्द्र को छोड़ देता है अथवा आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर किसी भी कारणवश अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा फीस पेटे जमा 500/- (अक्षरे रुपये पॉच सौ मात्र) (NON REFUNDABLE) रुपये अग्रिम राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. अभ्यर्थी को पूर्णरूपेण स्वस्थ्य होना अनिवार्य है, विशेष योग्यजन श्रेणी के केवल वो अभ्यर्थी पात्र होंगे जो राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 एवं यथा संशोधित नियमों में नर्स-2 के पद हेतु योग्य श्रेणी में आते हैं। जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण में ज्वाईमिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थी चयन के समय यदि गर्भवती पाई जाती है तो उसको आगामी बैच में पुनः आवेदन किये बिना, प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावेगा बशर्ते की अभ्यर्थी चयन की शेष शर्तों की पूर्ण रूप से पात्रता रखती हो।
7. सत्र आरम्भ होने का सम्भावित माह दिसम्बर, 2022 है।
8. राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करा दी जावेगी।
9. अभ्यर्थी द्वारा जिस जातिवर्ग/श्रेणी में आवेदन किया है उसे उसी जातिवर्ग/श्रेणी में सीट आवंटन हेतु विचार किया जावेगा। वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त समझा जावेगा एवं बाद में श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(D.) काउंसलिंग :-

1. राजकीय सेवा में कार्यरत नियमित (स्थायी) विभागीय कर्मचारियों को राजकीय काउंसलिंग के माध्यम से ही प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन किया जावेगा। प्राईवेट फैडरेशन के द्वारा विभागीय कोटे के कर्मचारियों को प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन नहीं किया जा सकता।
2. प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग की सूचना (विस्तृत कार्यक्रम) विभागीय वैबसाईट www.rajswasthya.nic.in/नोटिस बोर्ड एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी। इसमें राजकीय/निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल की सूची भय सीटों के उपलब्ध करा दी जावेगी। अभ्यर्थी अपना विकल्प पत्र विभागीय वैबसाईट पर जारी नर्सिंग स्कूल की उपलब्ध सूची के आधार पर ऑनलाइन भरकर प्रस्तुत करेगा। इस हेतु विभाग द्वारा राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर आरक्षण की श्रेणीवार चार गुणा अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नं० पर सूचित कर दिया जायेगा। इस बाबत अलग से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जावेगी।
3. प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी की राज्य स्तरीय मेरिट एवं अभ्यर्थी के ऑनलाइन दिये गये विकल्प के आधार पर किया जावेगा। अभ्यर्थियों को अपनी लघि/वरीयता के प्रशिक्षण केन्द्रों को दर्शाते हुए विकल्प पत्र ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिये ही भरकर प्रस्तुत करना होगा। तदनुसार ही अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित किया जावेगा।
4. राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स की प्रथम काउंसलिंग के बाद प्रवेशित अभ्यर्थियों की उपस्थिति की सूचना संबंधित राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल को निर्धारित तिथि2022 के तत्काल निवेशालय को उपलब्ध करानी होगी। यदि उपस्थित अभ्यर्थियों की सूचना किसी संस्थान द्वारा नहीं दी गई या सूचना देने में विलम्ब किया जाता है तो ऐसे राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स में अभ्यर्थी आवंटन नहीं होने के फलस्वरूप रिक्त रहने वाली सीटों के लिये राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल का ख्ययं का दायित्व होगा एवं आगामी काउंसलिंग में उस नर्सिंग स्कूल को सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
5. प्रवेशित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र/विभाग में स्थायी कार्मिक होने के निर्धारित प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/शैक्षणिक अंकतालिकाएँ आदि उनके नर्सिंग स्कूल्स में ही रहेंगे और इनका संबंधित बोर्ड/ संस्थान से सत्यापन करा लिये जाने के बाद ही लौटाया जायेगा। यदि सत्यापन के दौरान कोई दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को तत्काल प्रशिक्षण से

पृथक करते हुए उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। अभ्यर्थी द्वारा जमा कराये गये दस्तावेजों का सत्यापन कराये जाने की जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी।

(E.) विभागीय सेवारत कर्मचारी :—

राजकीय/निजी नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए राज्य सेवा में कार्यरत स्थायी विभागीय कर्मचारियों के लिए योग्यताएं/शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

1. उच्च अध्ययन करने के इच्छुक कर्मचारियों को विभाग द्वारा पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
2. योग्यताधारी विभागीय कर्मचारी भी निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करेंगे।
3. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 8 (6) चि./मुप-3/88 दिनांक 14.10.1997 के प्रावधानानुसार एवं भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी), नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधित गाईडलाईन के अनुसार विभागीय कर्मचारी की आयु दिनांक 31.12.2022 को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.5 (5) चि.स्वा.-3/93 पार्ट दिनांक 01.01.2000 के प्रावधानानुसार विभाग में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एएनएम) के लिए जीएनएम प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
4. समर्त संयुक्त निदेशक, जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ऐसे आवेदनकर्ता का उक्त प्रमाण पत्र भाग—स प्रमाणित करते समय यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदनकर्ता (विभागीय सेवारत कर्मचारी) की उक्त विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक स्थायी कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण हो गई है (इसमें संविदा सेवाओं की गणना नहीं की जायेगी)।
5. विभागीय कोटे में प्रशिक्षण के लिए चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम)/अतेरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को राजस्थान सेवा नियम 1958 के नियम 110 के परिपेक्ष्य में निदेशालय के आदेश क्रमांक : ई-18/एम/ /2016/1829 दिनांक 23.08.2016 के अनुसार अध्ययन अवकाश देय होगा। अन्य कार्मिकों को नियमानुसार उपार्जित/अर्द्धवैतनिक/असाधारण अवकाश (ई.ओ.एल.) स्वीकृत कराना होगा ऐसे कार्मिकों को नर्स-2 के सीधी भर्ती में 10% आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा उन्हें पूर्ण सेवा का लाभ केवल सेवा की अवधि गणना हेतु देय होगा।
6. विभाग में संविदा (Contract)/UTB/समेकित वेतन (Fixed Pay)/अरथाई तौर पर कार्यरत कर्मचारी को विभागीय कर्मचारी के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। संविदा पर अथवा अरथाई तौर पर की गई सेवाओं को नियमित स्थाई सेवा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। यदि अरथाई/संविदा पर कार्यरत कार्मिक अथवा स्थाई कार्मिक जिन्होंने 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण नहीं की है। इस प्रशिक्षण हेतु आवेदन करते हैं तो उन्हें विभागीय कोटे का लाभ नहीं दिया जायेगा।
7. विभागीय कर्मचारी को प्रशिक्षण केन्द्र आंवटन के पश्चात् कार्यमुक्त होकर प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थिति देगें।

(F.) आरक्षण :—

1. जीएनएम प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों को राज्य सरकार की नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
2. राजस्थान का राजपत्र दिनांक 24.01.2019 में उल्लेखितानुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 23.01.2019 के के क्रम में जारी राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक : नर्सिंग/फार्मा/नर्स-2/एएनएम/विशेष्योग्यजन/2021/419 दिनांक 01.04.2021 के अनुरूप विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय होगा।
3. नॉन क्रिमीलयर का जाति प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए (सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ रखें कर अपलोड करें)।
4. जातिगत आरक्षण का लाभ केवल पिता के नाम से राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करने पर केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों हेतु देय होगा।
5. राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, बांसवाड़ा की सभी सीटे जनजातीय उपयोजना क्षेत्र (TSP) के जनजाति अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है।
6. जीएनएम प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले समर्त अभ्यर्थियों को अपने पिता के नाम से राजस्थान के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

- (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 में अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उल्लेखित है।
8. बारां जिले के सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूलों में नियमानुसार आरक्षण देय होगा। इसके लिए बारां जिले के सहरिया अभ्यर्थियों को सक्षम स्तर से जारी बारां जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र भी रक्षेन कर अपलोड करना होगा।
 9. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.5 (330) चिस्वा./ग्रुप-3/97 दिनांक 26.11.2002 के प्रावधानानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों (सभी संवर्गों) को प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ होरिजेन्टल बेसिस पर वरीयता के आधार पर दिया जावेगा।
 10. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना प.2(12)विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के लिए राज्य की ऐसी शैक्षिक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में जो विहित किये जाये, प्रवेश के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण देय होगा। राजस्थान के मूल निवासियों हेतु अति पिछड़ा वर्ग (MBC) का सक्षम अधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ रक्षेन कर अपलोड करना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी को इस श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे तथा एक वर्ष से अधिक पुराना ना हो।)
- नोट :** उक्त अधिसूचना का अवलोकन कार्मिक विभाग की वैबसाईट पर करे।
11. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक : एफ 7 (1) डीओपी/ए-11/2019 दिनांक 19.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को दस प्रतिशत आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ रक्षेन कर अपलोड करना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी को उसकी श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा, प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे तथा एक वर्ष से अधिक पुराना ना हो। (नोट : उक्त अधिसूचना का अवलोकन कार्मिक विभाग की वैबसाईट पर करे।)
 12. विज्ञप्ति के क्र.सं. E में उल्लेखित विभागीय कर्मचारी तथा क्रम संख्या F के बिन्दु संख्या 2 में उल्लेखित विशेषयोग्यजन अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर प्रशिक्षण की सीटों को अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जावेगा।

(G) आवेदन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया :-

1. आवेदन पत्र ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे (फ्रेडिट / डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग) से निर्धारित शुल्क देकर जमा करा सकते हैं। जिसकी रसीद ऑनलाईन ही प्राप्त होगी।
2. ई-मित्र जो राजस्थान सरकार से अधिकृत हो के माध्यम से शुल्क जमा करवा कर रसीद प्राप्त कर लेवे।
3. आवेदन शुल्क रेटवर्क

माध्यम	एससी/एसटी	सामान्य/ओबीसी/एमबीसी/ईडब्ल्यूएस
ई-मित्र	शुल्क 110/-	शुल्क 220/-
पेमेन्ट गेटवे (फ्रेडिट / डेबिट कार्ड)	शुल्क 110/-	शुल्क 220/-
पेमेन्ट गेटवे (नेट बैंकिंग)	शुल्क 110/-	शुल्क 220/-

4. ऑनलाईन आवेदन भरे जाने हेतु ई-मित्र तथा बैंक एवं पेमेन्ट गेटवे (फ्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग) द्वारा लिये जाने वाला फीस के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क आवेदनकर्ता को अलग से देना होगा।
5. आवेदक द्वारा जमा की गयी आवेदन शुल्क राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लौटायी जायेगी।

(H) आवेदन करने की प्रक्रिया :-

1. जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2022–23 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) दिनांक _____ से भरे जायेंगे। जिन्हें विभागीय वैबसाईट के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक _____ (मध्यरात्रि) निर्धारित है। अभ्यर्थी अन्तिम तिथि को साय: 05:00 बजे तक ई-मित्र/सीएससी नेटवर्क के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करा सकेंगे तथा 12:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन भरे जा सकेंगे।
2. आवेदन शुल्क व आनलाईन आवेदन पत्र भरने के निर्धारित शुल्क की राशि ई-मित्र एवं पेमेन्ट गेटवे (फ्रेडिट / डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग) के माध्यम से स्वीकार्य की जावेगी।
3. अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुरूप आवेदन शुल्क ई-मित्र के माध्यम से जमा करा सकेगा। आवेदन शुल्क जमा कराते समय अभ्यर्थी रवायं का नाम, पिता का नाम, जाति वर्ग, श्रेणी, जन्म तिथि, मूल निवास आदि का वर्णन सादा पेपर पर अंकित कर ई-मित्र पर प्रस्तुत करेगा। जिस माध्यम से आवेदन शुल्क जमा कराया जा रहा है वहां से उसकी जमा रसीद / Acknowledgement प्राप्त कर लेये।

4. अभ्यर्थी को अपने हस्ताक्षर, आवेदन के समय स्केन कर निर्धारित रथान पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है (दिये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार)।
5. जाति प्रमाण पत्र, आवेदन के समय स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है (दिये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार)।
6. जन्म तिथि हेतु सैकेण्डरी अथवा समकक्ष (राजस्थान बोर्ड से मान्यतानुसार) की अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र, आवेदन के समय स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है (दिये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार)।
7. सीनियर सैकेण्डरी/समकक्ष (राजस्थान बोर्ड से मान्यतानुसार) की अंकतालिका रथयं द्वारा प्रमाणित प्रति, आवेदन के समय स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है (दिये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार)।
8. यदि निःशक्तजन हैं तो मेडिकल बोर्ड से जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र, आवेदन के समय स्केन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। निःशक्तता प्रमाण पत्र तीन वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए (दिये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार)।
9. विभागीय कर्मचारी (नियमित/स्थायी) जो इस प्रशिक्षण हेतु अपना आवेदन कर रहा है, वह अपने नियंत्रण अधिकारी से 5 वर्ष की नियमित (स्थायी) सेवाओं का प्रमाण पत्र प्रपत्र 'स' में प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ स्केन करवा कर अपलोड करेगा (दिये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार)।
10. आवेदक द्वारा दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व फोटो, स्केन हस्ताक्षर आवश्यक दस्तावेज (सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी की अंकतालिका) रथयं द्वारा जांच लिये जावे कि समस्त दस्तावेज समुचित या सही हैं। बाद में इस संबंध में कोई परिवेदना स्वीकार नहीं की जावेगी।
11. आवेदन पत्र ऑनलाईन सबमिट हो जाने के बाद एडिटिंग की अनुमति नहीं होगी है। अभ्यर्थी विशेष रूप से यह नोट कर लें, कि आवेदन शुल्क जमा कराने की रसीद में दर्ज विवरण ही ऑनलाईन आवेदन पत्र में स्वतः दर्ज हो जावेगी।
12. आवेदक आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रिन्ट आऊट (हार्ड कॉपी) डाउनलोड कर लेवे तथा उसे अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि विभाग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत कर सके। आवेदक को आवेदन से संबंधित कोई भी दस्तावेज कार्यालय में ऑफलाईन भेजने की आवश्यकता नहीं है। कार्यालय में भेजे गये दस्तावेजों पर कोई कार्यवाही/विचार नहीं की जावेगी।
13. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन क्रमांक (Application ID) उपलब्ध होगा और यदि आवेदन क्रमांक उपलब्ध नहीं होता है तो इसका अर्थ यह है कि आवेदन पत्र जमा (सबमिट) नहीं हुआ है।
14. ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक _____ से निर्धारित अन्तिम तिथि _____ (मध्यरात्रि) तक भरे जा सकेंगे। इसके उपरान्त ऑनलाईन लिंक रथतः ही निष्क्रिय हो जायेगा (विभाग को विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा)।

नोट :-

1. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए सुविधा हेतु आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वैबसाईट www.rajswasthya.nic.in से डाउनलोड कर उसे आवेदन करने से पूर्व हाथ से भर ले, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र में वांछित समस्त सूचना अंकित करे, कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः ही रद्द हो जावेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी रथयं आवेदक की होगी।
3. ऑनलाईन आवेदन में गलत या अपूर्ण सूचना के सुधार हेतु विभाग द्वारा कोई प्रार्थना पत्र/पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जावेगा।
4. जानबूझ कर भ्रामक सूचना देने अथवा कूटरचित दस्तावेत प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त करने के साथ – साथ उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।
5. अभ्यर्थी जिस श्रेणी/वर्ग के तहत आवेदन करने का पात्र है, वह उस श्रेणी/वर्ग में ही आवेदन प्रस्तुत करे। बाद में श्रेणी में कोई परिवर्त नहीं किया जावेगा।
6. यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होती है तो आवेदक पुनः शुल्क जमा कराकर नया आवेदन कर सकते हैं।

5. अभ्यर्थी जिस श्रेणी/वर्ग के तहत आवेदन करने का पात्र है, वह उस श्रेणी/वर्ग में ही आवेदन प्रस्तुत करे। बाद में श्रेणी में कोई परिवर्त नहीं किया जावेगा।
6. यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होती है तो आवेदक पुनः शुल्क जमा कराकर नया आवेदन कर सकते हैं।

(1) फीस :-

राजकीय स्कूल्स एवं निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश लेने वाले अभ्यार्थियों को ऑनलाईन काउंसलिंग में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसलिंग से पूर्व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 500/- (अक्षरे रूपये पाँच सौ मात्र) राशि(NON REFUNDABLE) अग्रिम राशि बैंक ऑफ बडौदा, शाखा उद्योग भवन, जयपुर के खाता संख्या 14630100006718 में पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कॉसिल एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) के नाम से जमा कराना अनिवार्य है। प्रवेश हो जाने पर फीस की राशि आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थिति के समय मूल दस्तावेजों के साथ जमा करानी होगी।

राजकीय नर्सिंग स्कूलों में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त कोर्स के लिये निम्न फीस निर्धारित है :-

Particular	Boys Gen OBC SC , Creamy layer candidates (Rs)	SC , ST , MBC , EWS , Non Creamy layer OBC and Female candidates (Rs)
Tuition Fees	7,000	2,800
Library Fees Sports Fees	1,000	400
Sports Fees	1,000	400
Student Welfare Development Fund	1,000	400
Total Rs	10,000	4,000

३.४
(सुरेश नवल)
 निदेशक (अराजपत्रित)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
 राजस्थान, जयपुर

जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2022-23

में प्रवेश हेतु आवेदन का प्रारूप

भाग - अ

कृपया अपने से संबंधित बॉक्स पर (✓) का चिन्ह अंकित करे।

स्वयं का पासपोर्ट
साईंज का हस्ताक्षरित
फोटो रक्केन कर
अपलोड करे।

1. सीनियर सैकंडरी अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा में अभ्यर्थी का ऐच्छिक विषय (फैकल्टी)
साईंस (बॉयलोजी ग्रुप) () अन्य विषय ग्रुप ()
(उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की प्रति अपलोड करे।)
2. आवेदक का वर्ग :- महिला () पुरुष()
3. अभ्यर्थी का जाति वर्ग
सामान्य () अनुसूचित जाति () अनुसूचित जनजाति ()
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) () टीएसपी (एस.टी) () टीएसपी (एस.सी) ()
टीएसपी (सामान्य) () सहरिया () अति पिछड़ा वर्ग (MBC) ()
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS)()
(प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करे।)
4. क्या अभ्यर्थी निःशक्तजन (ओ.एल) श्रेणी में प्रवेश का पात्र है :- हाँ () नहीं ()
(प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करे।)
5. यदि विभागीय राज्य कर्मचारी हैं तो किस श्रेणी में पात्रता रखता है :-
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) अन्य कर्मचारी ()
(विभागीय कर्मचारी को आवेदन पत्र का भाग "स" भरना अनिवार्य है। इसके अगाव में आवेदन पत्र प्रथम दृष्ट्या ही
निरस्त योग्य होगा। प्रशासनिक अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करे।)
6. आवेदन शुल्क की रसीद नम्बर दिनांक राशि (रूपये)

भाग - ब

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)
2. पिता का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)
3. पति का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)
4. जन्म तिथि / /
(दसवीं की अंकतालिका की प्रति अपलोड करे।)
5. दिनांक 31.12.2022 को आयु वर्ष माह दिन
6. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.सं.	सीनियर सैकंडरी या समकक्ष	बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	रोल नम्बर	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रोत्ताकर्ता का प्रतिशत

7. वर्तमान पता जिला राज्य
8. रथायी पता जिला राज्य
9. मोबाइल नं.

हस्ताक्षर आवेदक

भाग – स

(केवल विभागीय कर्मचारियों के लिए)

1. नाम अभ्यर्थी

2. पदनाम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) अन्य कर्मचारी ()
 3. संवर्ग में नियमित (स्थायी) नियुक्ति तिथि
4. वर्तमान पदस्थापन स्थान
5. संवर्ग में स्थायी नियुक्ति पश्चात् नियमित सेवा अवधि

हस्ताक्षर आवेदक

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी ने विभाग में पांच वर्ष की नियमित (स्थायी) सेवा पूर्ण कर ली है। जिसमें संविदा सेवा की गणना नहीं की गई है।

हस्ताक्षर
 (नियंत्रण / प्रशासनिक अधिकारी)
 मय कार्यालय मोहर

भाग – द घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए उपरोक्त विवरण एवं संलग्न पत्रादि मेरी जानकारी में पूर्णत सत्य है, तथा मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है। मेरे द्वारा दिये गये विवरण असत्य/त्रुटिपूर्ण/भ्रामक पाये जाने पर मेरा आवेदन/प्रवेश निरस्त किया जा कर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही किये जाने के लिए विभाग स्वतन्त्र रहेगा।

संलग्न :— प्रमाणित प्रतिलिपि का विवरण :—

दिनांक :—

स्थान :—

हस्ताक्षर आवेदक

नोट :— आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र स्पष्ट/पूर्ण रूप से भरा हुआ तथा स्व-हस्तारक्षित होना आवश्यक है। अहस्तारक्षित आवेदन पत्र निरस्तनीय होगा।